



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052024-254009  
CG-DL-E-02052024-254009

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1799]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946

No. 1799]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2024

का.आ. 1891(अ).—दिनांक 12.07.2023 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.07.2023 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3109 (अ) के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना (एमएनजेपीएल) के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती सुजाता गंधे, उप समाहर्ता (सामान्य), वर्धा, महाराष्ट्र सरकार को, प्रतिनियुक्ति के बजाय, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/26/2018-जीपी-II (ई-47104)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2024

**S.O. 1891(E).**—In partial modification of Government of India notification no. S.O. 3109(E) dated 12.07.2023 published in the Extraordinary Gazette of India dated 12.07.2023 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Sujata Gandhe, Deputy Collector (General), Wardha, Government of Maharashtra to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on additional charge basis instead of deputation basis for Mumbai — Nagpur — Jharsuguda Natural Gas Pipeline Project (MNJPL) of M/s GAIL (India) Limited in the State of Maharashtra.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/26/2018-GP-II (E-47104)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.